

RBI द्वारा NBFC की समीक्षा

[स्रोत: बज़िनेस लाइन](#)

[भारतीय रज़िर्व बैंक वर्ष 2024](#) में [गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों](#) के वर्गीकरण की व्यापक समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है।

- इस समीक्षा द्वारा चुने गए NBFC को बैंक लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
- विशेष NBFC को प्रोत्साहित करना अंततः उन्हें बैंक लाइसेंस प्रदान करने की दशा में प्रारंभिक और मूल्यांकन चरण के रूप में कार्य कर सकता है।

NBFC क्या है?

- **परिचय:** गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनी (NBFC) **कंपनी अधिनियम, 1956** अथवा **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जो ऋण प्रदान करने, प्रतभूतियों में नविश, पट्टे, बीमा जैसी वभिन्न वित्तीय गतिविधियों में अपनी भूमिका निभाती है।
 - ये कंपनियाँ वभिन्न बैंकगि सेवाएँ प्रदान करती हैं कति इनके पास बैंकगि लाइसेंस नहीं होता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - NBFC वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण, गोलड लोन, माइक्रोफाइनेंस, बीमा और नविश प्रबंधन जैसी विविध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
 - ये कंपनियाँ न्यूनतम **12 माह और अधिकतम 60 माह** के लिये जनता की जमा राशियाँ स्वीकार कर सकती हैं।
 - हालाँकि NBFC को मांग जमा (**Demand Deposit**) स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती है।
 - ये भुगतान और नपिटान प्रणाली का हिससा नहीं बनते हैं तथा स्वयं आहरति चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
- **वर्गीकरण:**
 - **जमा के आधार पर:**
 - जमा लेने वाली गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियाँ
 - जमा न लेने वाले गैर-बैंकगि वित्तीय संस्थान
 - **उनकी प्रमुख गतिविधिकी प्रकृति पर:**
 - नविश और करेडिट कंपनी
 - उपभोक्ता टिकाऊ ऋण वित्त
 - मुख्य नविश
 - कंपनी (CIC)
 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी/इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड
 - परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियाँ
 - फैंकटरगि कंपनियाँ
 - गोलड लोन कंपनियाँ
 - फनिटेक कंपनियाँ: P2P ऋणदाता
- **लाइसेंसगि:** कंपनी को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत सार्वजनिक या नजि कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
 - NBFC पंजीकरण हेतु पात्र होने के लिये कंपनी के पास **कम-से-कम 10 करोड रुपए का नविल स्वामतिव वाला फंड** होना चाहिये।
 - कंपनी के **कम-से-कम एक तहिाई नदिशकों** के पास वित्त क्षेत्तर में प्रसंगिक कार्य अनुभव होना चाहिये।
 - कंपनी का अपने करेडिट इतिहास और वित्तीय विश्वसनीयता के संबंध में **करेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड** के साथ अच्छा ट्रैक रकिॉर्ड होना चाहिये।
 - कंपनी को **पूंजी अनुपालन और वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम** कानूनों के तहत नरिधारति सभी नियमों, मानदंडों और दशा-नरिदेशों का पालन करना होगा।
- **वनिधिमन:** **RBI अधिनियम 1934** के तहत रज़िर्व बैंक को इन NBFC को पंजीकृत करने, नीति नरिधारति करने, नरिदेश जारी करने, नरिक्षण, वनिधिमन, पर्यवेक्षण और नगिरानी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह **बहषिकरण '50-50 परीक्षण'** का उपयोग करके नरिधारति किया जाता है।
 - रज़िर्व बैंक ने अक्टूबर, 2021 में स्केल आधारति वनिधिमन (SBR) पेश किया, जिसमें NBFC को **बेस लेयर (NBFC-BL)**, **मडिलि लेयर (NBFC-ML)**, **अपर लेयर (NBFC-UL)** और **टॉप लेयर (NBFC-TL)** में वर्गीकृत किया गया।
 - यह रूपरेखा उनकी संपत्तिके आकार और स्कोरगि मानदंडों के आधार पर ऊपरी स्तर में NBFC की पहचान करने की पद्धतिकी रूपरेखा तैयार करती है।

List of NBFCs in upper layer

1 LIC Housing Finance

2 Bajaj Finance

3 Shriram Finance

4 Tata Sons Pvt Ltd

5 L&T Finance

6 Indiabulls Housing Finance

7 Piramal Capital & Housing Finance

8 Cholamandalam Investment and Finance

9 Shanghvi Finance Pvt Ltd

10 M&M Financial Services

11 PNB Housing Finance

12 Tata Capital Financial Services

13 Aditya Birla Finance

14 HDB Financial Services

15 Muthoot Finance

16 Bajaj Housing Finance

प्रमुख व्यवसाय का 50-50 मानदंड क्या है?

- RBI किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय को वित्तीय प्रकृति का मानता है यदि उसकी कुल संपत्ति और सकल आय का 50% से अधिक वित्तीय गतिविधियों से आता है।
 - यह परभाषा सुनिश्चित करती है कि केवल वित्तीय संचालन में शामिल कंपनियाँ ही NBFC के रूप में पंजीकृत हैं और RBI की नियामक नगिरानी के अंतर्गत आती हैं।
- मुख्य रूप से गैर-वित्तीय गतिविधियों में लगी कंपनियाँ, भले ही वे कुछ वित्तीय व्यवसाय भी करती हों, RBI द्वारा वनियमित नहीं हैं।
 - वित्तीय व्यवसाय में किसी कंपनी की भागीदारी निर्धारित करने के लिये इस मूल्यांकन को आमतौर पर "50-50 मानदंड" के रूप में जाना जाता है।

नोट: डिमिंड डपिंजटि से तात्पर्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों में जमा की गई धनराशि से है जिससे खाताधारक बना किसी पूर्व सूचना के मांग पर निकाल सकता है।

- वे दैनिक-प्रतदिन के लेन-देन के लिये अत्यधिक तरल और सुलभ हैं, जिससे वे उन व्यक्तियों तथा व्यवसायों के लिये पसंदीदा विकल्प बन जाते हैं जिन्हें अपने फंड तक लगातार पहुँच की आवश्यकता होती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2010)

1. वे सरकार द्वारा जारी प्रतभूतयिों के अधग्रहण में शामिल नहीं हो सकती।
2. वे बचत खाते की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और ना ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-to-review-nbfc>

